

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,  
अनुसचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र० लखनऊ।

Aso  
Dast  
asimbedal

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 9 फरवरी 2017

विषय:- जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-94 (मूरतगंज-महेवाघाट मार्ग) के किमी० 30.00 से 31.00 के मध्य बांयी पट्टी पर ग्राम सरसवां तहसील मंझनपुर परगना अथरवन के आराजी संख्या-1530 मि० पर एच०पी०सी०ल० द्वारा प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.08471 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1336/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/21706/2016 दिनांक 26-12-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 11-7-2014 में उल्लिखित बिन्दुओं का क्या अनुपालन किया गया है। कृपया इस सम्बंध में आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)

कार्यालय: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।  
पत्रांक: -1755/11-C-FPI/PT/OTHER/21706/2016 दिनांक: फरवरी 20, 2017  
परिष्कारण:- निम्न अधिकारियों को इस आख्या से प्रेषित के उपर्युक्त सूचना/आख्या को पत्रिका में प्रेषित करने का कष्ट करें।

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद।
- 2- प्रशासकीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन विभाग, कौशाम्बी।
- 3- मुख्य प्रासंगिक प्रवक्ता, HPCL, कानपुर रिटेल, क्षेत्रीय कार्यालय, फेक्ट्री सारिया, फजलकांज, कानपुर।

(सुरेश चन्द्र)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ